न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 69/2019

1 रघुवीर सिंह आयु 75 वर्ष पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी लीला की तन हुकमपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू(राज.)।
2 नरवरसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी लीला की तन हुकमपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)।

अपीलांट

बनाम

1 मृतक– छोटुसिंह दतक पुत्र गंगासिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी लीला की तन हुकमपुरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
1/1 सलाब कंवर पत्नी छोटुसिंह
1/2 उमराव सिंह पुत्र छोटुसिंह
1/3 लक्ष्मणसिंह पुत्र छोटुसिंह समस्त जाति राजपुत निवासी ढाणी लीला की तन हुकमपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
2 रामचन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह
3 भागीरथसिंह पुत्र मोहनसिंह
4 सुरजभान सिंह पुत्र मोहनसिंह
5 अजीतसिंह पुत्र मोहनसिंह समस्त जाति राजपुत निवासी ढाणी लीला की तन हुकमपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
6 राजस्थान सरकार भूमिधारी तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू(राज.)

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 28.09.2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी छोटुसिंह बनाम रामचन्द्र मु.न. 128/2014 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 08/05/2023

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 128/2014 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नं. 245 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नं. 246 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नं. 247 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नं. 248 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नं. 251 रकबा 0.92 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.72 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम हुकमपुरा तहत तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है। अपीलान्ट ने उक्त जमीन में से 1/12 हक हिस्से की घोषणा के लिये अदालत मातहत के समक्ष एक वाद बाबत घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा उनवानी रघुवीरसिंह वगैरह बनाम बिशालसिंह वगैरह मु.न. 66/2009 पेश किया। जिस वाद पत्र को अदालत मातहत ने दिनांक 26.10.2017 को डिक्री कर दिया तथा अपीलान्टस को संयुक्त रूप से 1/12 हक हिस्से के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खातेदार काश्तकार घोषित कर दिये। रेस्पोडेन्ट मृतक छोटुसिंह ने अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्टस के वाद पत्र के बाद मु. उनवानी छोटुसिंह बनाम रामचन्द्रसिंह मु.नं. 193/2014 उपरोक्त जमीन व अन्य जमीन के बाबत पेश किया जिसके साथ मृतक छोटुसिंह ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी छोटुसिंह बनाम रामचन्द्र सिंह पेश की जिसमें भी अपीलान्टस का अपने हक हिस्सा की जमीन में कब्जा काश्त होने के बावजुद भी पक्षकार नहीं बनाया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 28.09.2015 को आलौच्य निर्णय पारित किया इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 व 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नं. 2 लगायत 5 अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट के मु. न. 66/09 में प्रतिवादी नं. 12/1 लगायत 12/4 रहे है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 को इस बात की जानकारी रही है कि खसरा नं. 245 लगायत 249 एवं 251 के बाबत इसी न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद विचाराधीन है। मु.नं. 66/2009 के बारे में रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 ने अदालत मातहत के समक्ष उक्त तथ्य की जानकारी जानबुझकर नहीं दी। अदालत मातहत के समक्ष मृतक छोटुसिंह व रेस्पोडेन्ट रामचन्द्र ने दुरभि संधि से निर्णय पारित करवाया है। यह इससे भी साबित है कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट रामचन्द्र के अधिवक्ता ने अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने के लिये सहमति दी है। जमीन हाल खसरा नं. 245 से 249 एवं 251 के बाबत मृतक छोटुसिंह ने दिनांक 20.05.2014 को दावा उनवानी छोटुसिंह बनाम फतेहसिंह पेश किया जिसमें छोटुसिंह ने अपीलान्टस को जानबुझकर कब्जा काश्त के बावजुद भी पक्षकार नहीं बनाया। उक्त छोटुसिंह ने अपने वाद पत्र उनवानी छोटुसिंह बनाम फतेहसिंह मु.नं. 193/2014 के साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र उनवानी छोटुसिंह बनाम रामचन्द्र सिंह मु. नं. 128/2014 पेश की उसमें भी अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया तथा उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नं. 128/2014 दिनांक 28.09.2015 को अदालत मातहत ने उपरोक्त वर्णित जमीन के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत आदेश पारित किया। चुंकि उक्त जमीन में अपीलान्ट को 1/12 हक हिस्सा है। इस बाबत अदालत मातहत ने अपीलान्ट का दावा दिनांक 26.10.2017 को स्वीकार हुआ है। आलौच्य आदेश दिनांक 28.09.2015 कायम रहने से अपीलान्ट के हक में हुई घोषणा की डिक्री का अलग राजस्व रिकार्ड में नहीं हो सकता इस कारण अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्ट प्रभावित है। आलौच्य निर्णय दिनांक 28.09.2015 के प्रकरण में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलान्ट को आलौच्य आदेश का पहले पता नहीं था। मु. नं. 66/2009 के प्रकरण में जारी डिक्री दिनांक 26.10.2017 का अमल राजस्व रिकार्ड में करवाने के लिये दिनांक 08.02.2019 को अपीलान्टस पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का ने स्थगन आदेश दिनांक 28.09.2015 की जानकारी दी जिस पर अपीलान्टस ने दिनांक 11.02.2019 को आलौच्य आदेश की नकल प्राप्त की। मौजुदा अपील बाबत पहले विधिक सलाह नहीं मिली। दिनांक 13.09.2019 को आलौच्य निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने की विधिक सलाह मिली। दिनांक 14.09.2019 व दिनांक 15.09.2019 को राजकीय अवकाश था। इस प्रकार बरोज विधिक सलाह से दिनांक 13.09.2019 से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद 60 दिन पेश है। फिर भी किसी कारणवश अपील अपीलान्टस अन्दर मियाद समाहत नहीं की जावे उस सुरत में अपीलान्टस को दफा 5 परिसीमा अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समाहत किया जावे। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 245, 246, 247, 248, 249, 251 वाके ग्राम हुकमपुरा में अपीलान्ट को 1/12 हिस्से का खातेदार विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वाद संख्या 66/2009 में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2017 द्वारा घोषित किया गया था। इस वाद में विचाराधीन प्रकरण के अप्रार्थीगण/ रेस्पोडेन्टस बतौर प्रतिवादीगण दर्ज है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण /रेस्पोडेन्टस ने जरिये वकील उपस्थिति दी है एवं अपीलान्ट का वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। स्पष्ट है कि विचाराधीन वाद के अप्रार्थीगण को उक्त डिक्री एवं अपीलान्ट की विवादित भूमि में खातेदारी होने के तथ्य की पूर्ण जानकारी थी। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय में इस तथ्य की जानकारी नहीं दी, इस तथ्य को छिपाते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार करने में सहमति जाहिर की है। स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टस द्वारा दुरभिसंधि कर विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से अपीलांट का प्रभावित पक्षकार होना प्रकट है। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं था। अपीलांट को बिना सुने विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य का बिन्दुवार विवेचन भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02/05/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर